Acms- 2021/97

फर्द अहकाम

अज अदालत–**न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर**

मुकेश चन्द **बनाम** सचिव, ग्राम पंचायत पाली तह0 वैर

किस्म मुकदमा अपील आर. टी. आई नम्बर ..42.. सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर तारीख अ... जो इस की तामी जारी।
11.05.2021	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट मुकेश चन्द पुत्र हरीचरन शर्मा निवासी ग्राम व पोस्ट, तहसील घरोण्डा जिला करनाल, हरियाणा की अपील सचिव, ग्राम पंचायत पाली तहसील वैर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी यह अपील सचिव, ग्राम पंचायत पाली के खिलाफ पेश की गई है। आर.टी.आई एक्ट के तहत सचिव, ग्राम पंचायत पाली के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस लौटाकर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील सरपंच, ग्राम पंचायत पाली तहसील वैर के यहां प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) जिला कलक्टर भरतपुर (राज0	निर्णय 363 17/5/21 प्रेषित